13-7-2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
तहसील सेवा केन्द्र ग्रा०प० बिलासपुर
पर पेश हुयी। वादी बद्रीलाल विजय
मय वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण की
ओर से तहसीलदार ऊनियारा उपस्थित।
दोनों पक्षों को सुना गया।
एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात
का अवलोकन किया गया। पत्रावली
पर उपलब्ध आवंटन आदेश पत्रावली
संख्या 898/1978 दि० 7-11-78 के
अनुसार वादी को ख० न० 413/1 रकबा
2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम खिजूरी
आवंटित की गई है। नकल मिसल
बन्दोबस्त के अनुसार साबिक आराजी
ख० न० 413 की रकबा 2 बीघा 10

किस्वा बाके ग्राम भिलगाटी के हाल
ख० नं 601 रकबा 0-57 कायम
हुये है। नामान्तरकरण संख्या 356
दि० 28-12-78 द्वारा आराजी ख० नं
513/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा
बद्रीलाल पुत्र किशोरीलाल महाजन
सा० देह गैर खातेदारी मे दर्ज हुयी है
पर्चा लगान भू-प्रबन्ध मे आराजी ख० नं
601 रकबा 0-57 मे नाम खातेदार/गैर
खातेदार मे बद्रीलाल पुत्र किशोरीलाल
महाजन सा० देह गैर खातेदार दर्ज है
पर्चा नोटिस भू प्रबन्ध मे भी वादग्रस्त
आराजी वादी के नाम गैरखातेदारी दर्ज
है नकल जमाबन्दी सम्वत 2063 से
2066 बाके ग्राम भिलगाटी के हाल ख०नं
601 रकबा 0-57 है० चक काबिल
काश्त दर्ज है

इस प्रकार स्पष्ट है कि
वादग्रस्त आराजी पूर्व से वादी की
गैर खातेदारी मे दर्ज रही है तथा
वर्तमान मे भी वादग्रस्त आराजी पर
वादी का कब्जा काश्त (अतिक्रमण) दर्ज
है दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजी गलत
रूप से सिवायचक मे दर्ज की गई है
वादी का वादग्रस्त आराजी पर लगातार
कब्जा काश्त रहने से खातेदारी
प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका

Scanned by CamScanner

है। उपरोक्त विवेचन न्यायालय वादी के वाद को राजस्व बोर्ड अदालत की भावना के मध्यनजर रखते हुये डिक्री किया जाना उचित समझता है अत: वाद वादी डिक्री किया जाता है वादी को आराजी ख०न० 601 रकबा 0-57 हेक्टेयर वाके ग्राम भिणाजारी तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर नकल से रुजू हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट
उनियारा जिला टोंक उनियारा

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

# मूल वादे में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट ) बिलासपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष चन्द शर्मा RAS उपखण्ड अधिकारी उनियारा

बद्रीलाल पुत्र किशोरीलाल जाति महाजन निवासी बिलासपुरी तहसील उनियारा उनवान 1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, टोंक बनाम 2. तहसीलदार उनियारा

दावा बाबत घोषणा, दु० इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 159/2009

निर्णय दिनांक :– 13-7-2015

वादी की और से बद्रीलाल वादी की व प्रतिवादी की और से तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-7-2015 को श्री सुभाष चन्द शर्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी को आराजी ख० नं० 601 रकबा 0.57 हैक्टर वाके ग्राम बिलासपुरी तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( [signature] )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

### वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. .............. रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामील | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस | |
| योग | | योग | |

Scanned by CamScanner